अध्याय - 11

स्थानान्तरण / पदस्थापन

पत्र संख्या–3/एम०–163/07 का०–4337

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना–15, दिनांक 10. 12. 2007

विषय :– प्रशाखाओं के सहायकों के स्थानान्तरण के बाद संचिकाओं/अभिलेखों का समुचित प्रभार सौंपे जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा पाया जाता है कि प्रशाखाओं से सहायकों का अन्य प्रशाखा में या अन्य विभाग में स्थानांतरण होने के बाद संबंधित पटल/विषय की संचिकाओं/अभिलेखों/पंजियों के प्रभार के आदान–प्रदान में पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती जाती है। इस कारण न्यायालयों से संबंधित मामले, सूचना के अधिकार के तहत के मामले, जन शिकायतों से संबंधित मामलों आदि के संबंध में मूल संचिका की खोज किये जाने पर वर्तमान सहायक द्वारा उत्तर दिया जाता है कि ऐसी संचिका उन्हें प्रभार में प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति की मूल जिम्मेवारी निवर्तमान सहायक की होती है किन्तु समुचित पर्यवेक्षण के अभाव को भी इसका कारण माना जा सकता है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि सहायकों के स्थानांतरण के बाद उनके पटल/विषय से संबंधित संचिकाओं/अभिलेखों/पंजियों के प्रभार के समुचित आदान–प्रदान की मूल जिम्मेवारी निवर्तमान (आउट गोइंग) सहायक की होगी। किसी संचिका/अभिलेख/पंजी का प्रभार नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हीं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी। प्रभार लेने वाले सहायक का भी उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा के प्रभारी अवर सचिव/उप सचिव के मार्गदर्शन में सुनिश्चित हो लें कि प्रभार का आदान–प्रदान समुचित रूप में हुआ है या नहीं। जब तक किसी सहायक द्वारा प्रभार का समुचित एवं पूर्ण आदान–प्रदान नहीं किया जाता है तब तक (अन्तरविभागीय स्थानांतरण की स्थिति में) उनका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

कृपया उक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

सत्यमेव जयते
अशोक कुमार चौधरी

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
Main Secretariat, Patna-800 015
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना–800015
टेली. : 0612–2223804
फैक्स : 0612–2222085

पत्रांक – 2063 / गो०मु०स०
दिनांक 15 नवम्बर, 2006

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में।

महाशय,

जैसा कि आप अवगत हैं, विभिन्न विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समय अक्टूबर से मई महीना है। पूर्व व्यवस्था के अनुसार मई–जून के अलावे नवम्बर–दिसम्बर माह में भी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है। लेकिन योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों का रूटीन स्थानान्तरण/पदस्थापन केवल जून माह में ही किया जाये। जून माह को छोड़कर शेष अवधि में केवल वैसे ही स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जायें, जो प्रोन्नति के फलस्वरूप या कार्यहित अथवा प्रशासनिक कारण से आवश्यक हों। इन अवस्थाओं को छोड़ कर रूटीन स्थानान्तरण/पदस्थापन नवम्बर–दिसम्बर माह में पूर्व की भाँति नहीं किये जायेंगे।

कृपया इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
अशोक कुमार चौधरी

[3]

पत्र संख्या–3/एम०–198/2005 का०–176

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 17. 01. 2006

विषय :– सरकारी सेवकों द्वारा अपनी सेवाशर्तों/स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में उचित माध्यम से अभ्यावेदन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः यह देखा जाता है कि सरकारी सेवक अपनी सेवा संबंधित मामलों या अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए सीधे अभ्यावेदन दे देते हैं। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 3/आर 1–1–101/78 का०–12674 दिनांक 30.06.1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कोई भी अभ्यावेदन उचित माध्यम से ही दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० सीएस 3/एम 3–1016/80–3918 दिनांक 25.10.1980 की कंडिका (क) (7) में उल्लेख है कि यदि कोई निवेदन करना हो तो सक्षम पदाधिकारी के पास हर साल 1 मार्च/अगस्त तक भेजा जा सकता है और कंडिका (क) (9) में उल्लेख है कि विभागीय मंत्री को सीधे प्रार्थनापत्र संबोधित किया जाना अनियमित है।

2. अतएव अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उपर्युक्त प्रावधान से अवगत करा दें और निदेश दें कि अपना अभ्यावेदन उचित माध्यम से ही भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही सीधे प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

पत्र संख्या–3/एम०–198/2005 का०–175

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 17. 01. 2006

विषय :– सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या सी०एस० 03/एम 3–1016/80–3918 दिनांक 25.10.1980 की कंडिका (क) (1) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सामान्यतः सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में सिर्फ दो बार अर्थात प्रति वर्ष मई-जून तथा नवम्बर-दिसम्बर में किया जाना है। विशेष परिस्थिति में बीच की अवधि में भी स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाने के लिए व्यवस्था ऐसी है कि जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन मंत्री स्तर या मंत्रिपरिषद् से होता है उन मामलों में मुख्यमंत्री का आदेश लेकर स्थानान्तरण किया जा सकता है और जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किसी अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा किया जाता है उन्हें अपने से उच्चतर पदाधिकारी की पूर्वानुमति लेनी है। विशेष परिस्थिति में बीच की अवधि में ऐसे स्थानान्तरण/पदस्थापन मृत्यु, बीमारी, रिक्ति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से किये जाने का प्रावधान है।

2. उपर्युक्त आलोक में आपसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प के अनुसार वर्तमान में उक्त संकल्प में विहित प्रक्रियानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन केवल पदस्थापन की प्रतीक्षा वाले मामलों या प्रशासनिक कारणों से ही किये जाएँ।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 1231 दिनांक 06.02.97 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्गत किया गया है। उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत में कनीय प्रवर कोटि के पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण की कंडिका "ग" में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन हेतु कनीय प्रवर कोटि के उन्हीं पदाधिकारियों में से किया जायेगा जिनकी आयु 50 वर्ष से कम हो।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा उक्त प्रावधान को संशोधित करने का अनुरोध करते हुए अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि जिला पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु उम्र सीमा का कोई बन्धेज नहीं है। जिलाधिकारी के बाद प्रशासनिक कार्यों के दायित्व की जिम्मेवारी सीधे अनुमंडल पदाधिकारी की ही होती है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु निर्धारित उम्र सीमा का निर्धारण उचित नहीं है।

3. उपर्युक्त आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने विभागीय संकल्प सं० 1231 दिनांक 06.02.97 में कनीय प्रवर कोटि के पदाधिकारियों के पदस्थापन संबंधी कंडिका "ग" में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन संबंधी उल्लिखित अधिकतम उम्र सीमा को तत्काल के प्रभाव से विलोपित करने का निर्णय लिया है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
वि० के० हलदर
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–12 प० (क०) – 1021/2003–का०–197 पटना–15, दिनांक 11.01.2004

प्रतिलिपि–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

उनसे यह अनुरोध है कि इसकी 1000 हजार प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करावें।

नितेन चंद्र
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–12 प० (क०) – 1021/2003–का०–197 पटना–15, दिनांक 11.01.2004

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नितेन चंद्र
सरकार के अपर सचिव